

राजस्व अपील संख्या 61/2023

अनवान

रामूराम वगैरा बनाम राज0 राज्य जरिय तहसीलदार शेरगढ

दिनांक 04-04-2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ, जिला जोधपुर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक /प्र.गां.सं.अ./2022/23 निर्णय दिनांक 26-05-2022 विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-05-2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ जिला जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 26-05-2022 में हस्तक्षेप नहीं करते हुए प्रकरण में तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रस्तुत अपील में वर्णित ग्राम भोनासर के खसरा संख्या 28 के रास्ते सम्बन्धी प्रकरण का उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जाँच की जाकर मौका नक्शा व मौका फर्द तैयार कर नियमानुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।



अतिरिक्त सहायक अधिवक्ता  
जोधपुर